क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

- **कार्यक्रम का नाम**: To establish **Q**uality **M**anagement **S**ystem (QMS) in Hospital and their accreditation (अस्पतालों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना एवं मान्यता प्रदान करना/करवाना।
- **बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)**: गुणवत्ता यकीन (Quality Assurance)
- **बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर)**: B15.2

कार्यक्रम अंतर्गत तीन गतिविधियों हेतु राशि आवंटित की जा रही है:–

(1) जिला गुणवत्ता यकीन समिति (DQAC) के प्रशिक्षण हेतु।
(2) क्षेत्रीय गुणवत्ता यकीन समिति (RQAC) के प्रशिक्षण हेतु ।
(3) अस्पतालों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QAC) स्थापित कर गुणात्मक सुधार करने हेतु।

जिला गुणवत्ता यकीन समिति (DQAC) के प्रशिक्षण हेतु।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:

राज्य के सभी अस्पतालों के स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं में गुणात्मक सुधार लाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य, प्रमंडल एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता यकीन समिति (Quality Assurance Committee /Cell) का गठन किया जा चुका है। विगत 1 वर्ष से राज्य के विभिन्न अस्पतालों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इन अस्पतालों का प्रमाणिकरण (certification) हेतु भी कार्य किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में गुणवत्ता यकीन (Quality Assurance) अंतर्गत निम्न कार्यो/ **बिदुओं पर focus** होगा –

(क) राज्य, प्रमंडल एवं जिला स्तर के गुणवत्ता यकीन समितियों {State Quality Assurance Committee (SQAC), Regional Quality Assurance committee (RQAC), District Quality Assurance Committee (DQAC)} का orientation एवं TOR अनुरूप कार्यान्वयन करना।
(ख) जिलों द्वारा चयनित अस्पतालों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) स्थापित करना। साथ ही अस्पताल के सभी स्टॉफ का गुणवत्ता सुधार/ गुणवत्ता यकीन में प्रशिक्षण करना।
(ग) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) स्थापित करने के साथ–साथ अस्पतालों को प्रमाणिकरण (Certification) के लिए तैयार करना।
(घ) प्रमाणिकरण हेतु उचित कार्रवाई करना।

इकाई राशि (रू0 में): जिला गुणवत्ता यकीन समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति के प्रशिक्षण (orientation) हेतु रू0 50000/- प्रति जिला।

वित्तीय दिशा निर्देश:

वित्तीय वर्ष 2011–12 में District Quality Assurance Committee (RQAC) की संरचना , कार्यो एवं जिम्मेदारियों संबंधी guidelines (संलग्न Annexure–1) सभी जिलो को भेजा गया था जिससे कि DQAC का गठन एवं क्रियान्वयन उसके अनुरूप हो। जिला गुणवत्ता यकीन समिति (DQAC) के कार्यो एंव जिम्मेवारियों तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर एकदिवसीय प्रशिक्षण द्वितीय त्रैमास में किया जाना है । जिला स्तर पर आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु बजट निम्न प्रकार से है –

Table 1 :-

Orientation- cum-Training of District Quality Assurance Committee/cell (DQAC)

SKumar Jyoti

And all members of District Health Society (DHS).	
Venue	District head quarter
Duration	1 Day
Time	10.00 A.M. to 5.00 P.M.
Participants	40 (members of DQAC ; members of DHS; Deputy superintendent of Sadar hospital)
Facilitator for the orientation	RPM /RM&E of the concerned division; Development partner for the district; representative from NHSRC
Fund allocated	Rs. 50,000/-

Budget

S.No.	Particulars	Unit Cost in Rs.		Total Amount (In Rs.)
1.	Honorarium to Master Trainer (if any)	1000/per MT/day	1000x2 MT (if any)	2000
2	Travel to Master Trainer	-		-
3	Lunch & Tea @Rs.200 per participants	200/participant	Rs.200x 40Participants	8000
4	Incidental expenses(e.g. folder, Pen, Notebook for each Participant, photocopying,)	300/Participant	Rs 300x40 Participants	12000
5	LCD/ Laptop hiring 2000/day	Rs.2000/day	Rs. 2000x 1 Days	2000
6	Venue hiring charges (Maximum)	5000/day	Rs.5000x 1 Days	5000
SUB-TOTAL				**29,000**
7	Institutional overheads	10% of sub-total cost		2,900
GRAND TOTAL				**31,900**

TA/DA of the DPs and participants may be borne from their existing establishment.

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0 तिथि क साथ उल्लेखित करे) :

(क) SHSB/Gen.Admin/319/2010/28440, dated 20.07.11

(ख) SHSB/Gen.Admin/314/2010/27387, dated 21.06.11

(ग) SHSB/Gen.Admin/314/2010/30984, dated 24.10.11
(घ) SHSB/Er-c/45/2009/Part-1/28758, dated 01.08.11

क्षेत्रीय गुणवत्ता यकीन समिति (RQAC) के प्रशिक्षण हेतु ।
कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

वित्तीय वर्ष 2011–12 में Regional Quality Assurance Committee (RQAC) की संरचना, कार्यो एवं जिम्मेदारियों संबंधी guidelines (संलग्न Annexure–1) सभी प्रमंडल को भेजा गया था जिससे कि RQAC का गठन एवं क्रियान्वयन उसके अनुरूप हो। उपलब्ध करायी गयी guidelines में RPMU के सदस्यों कों ही RQAC members कहा गया हैं ,परंतु इसमें विस्तार करने की आवश्यकता होगी। अतएव RQAC अपने प्रमंडल अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, Medical Colleges , DPs, RCH expert, CSO के प्रतिनिधिओं को सम्मिलित कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में यह फोकस होगा कि RQAC पूरी तरह से functional हो और Quality Improvement के कार्यो को सुचारू पूर्वक संपादित करें। इस हेतु द्वितीय त्रैमास में प्रत्येक RQAC का प्रशिक्षण किया जाना हैं।

इकाई राशि (रू0 में):

Regional Quality Assurance Committee (RQAC) के प्रशिक्षण (Orientation) हेतु प्रत्येक RPMU को द्वितीय त्रैमास में रू0 30000 /- प्रति RPMU।

वित्तीय दिशा निर्देश :

जिला गुणवत्ता यकीन समिति (DQAC) के कार्यो एंव जिम्मेवारियों तथा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर एकदिवसीय प्रशिक्षण द्वितीय त्रैमास में किया जाना है । जिला head quarter स्तर पर आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु बजट निम्न प्रकार से है –

Table -3:-

Orientation- cum-Training of Regional Quality Assurance Committee/cell (RQAC) and all members of RPMU.				
Venue			District head quarter of the division	
Duration			1 Day	
Time			10.00 A.M. to 5.00 P.M.	
Participants			25 (members of RQAC**), all members of RPMU	
Facilitator for the orientation			RPM; Development partner in the district; representative from NHSRC.	
Fund allocated			Rs. 30,000/-	
Budget				
S.No.	**Particulars**	**Unit Cost in Rs.**		**Total amount (in**
1.	Honorarium to Master Trainer (if any)	1000/per MT/day		1000
2	Travel to Master	-		-

Skumar Jyoti

	Trainer			
3	Lunch & Tea @Rs.200 per participants	200/participant	Rs.200x 25Participants	5000
4	Incidental expenses(e.g. folder, Pen, Notebook for each Participant, photocopying,)	300/Participant	Rs 300x25 Participants	7500
5	LCD/ Laptop hiring 2000/day	Rs.2000/day	Rs. 2000x 1 Days	2000
6	Venue hiring charges (Maximum)	5000/day	Rs.5000x 1 Days	5000
Sub-Total				**20,500**
7	Institutional overheads	10% of sub-total cost		2050
GRAND TOTAL				**22,550**
TA/DA of the DPs and participants may be borne from their existing establishment.				
** Other than members of RPMU, more members may be added from medical college, Development partners, CSO, experts on RCH in the Regional Quality Assurance Committee thereby resulting in expansion of RQAC.				

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0 तिथि क साथ उल्लेखित करे):
(क) SHSB/Gen.Admin/319/2010/28440, dated 20.07.11

अस्पतालों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QAC) स्थापित कर गुणात्मक सुधार करने हेतु।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) स्थापित करने एवं प्रमाणित करने/करवाने हेतु निम्नलिखित चरण होगें :–

(क) अस्पताल के सभी चिकित्सकों, नर्सों/ए.एन.एम. एवं अन्य कर्मियों के साथ परामर्शी प्रक्रिया (consultative process) द्वारा कमियों (gaps) को चिन्हित करना।

(ख) चिन्हित कमियों, उपलब्ध संसाधनों इत्यादि के आधार पर कार्य योजना (action plan) तैयार करना।

(ग) अस्पताल के सभी चिकित्सों, नर्सो/ए.एन.एम., सभी स्टॉफ एवं कर्मियों को प्रशिक्षित करना।

(घ) अस्पताल के विभिन्न कार्यात्मक इकाईयों (functional units) जैसे ओ.पी.डी., आई.पी.डी, इमरजेंसी, ओ.टी., लेबर रूम इत्यादि के लिए प्रोटोकॉल्स बनाना एवं उनका समुचित documentation करना।

(ड.) अस्पताल गुणत्ता प्रबंधन दल (hospital quality management team) का गठन करना, उनके माध्यम से तथा RQAC एवं DQAC के सहयोग से सभी कमियों को बंद करना तथा documented process/protocols का अनुपालन करना/करवाना।

S Kumar Jyoti

(च) नियमित अंतराल पर कृत कार्रवाइयों की समीक्षा करना/करवाना (assessment by DQAC & RQAC)।

(छ) प्रमाणीकरण (certification) की प्रक्रिया करना/करवाना।

नोटः–*QMS स्थापित करने हेतु उपरोक्त वर्णित प्रकियाओं को करने में राज्य स्वास्थ्य समिति,बिहार एवं NHSRC के द्वारा तकनीकी सहयोग/ मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही हर जिले के development partner इस काम में जिला स्वास्थ्य समिति एवं DQAC को सहयोग करेगें।*

वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिलावार जितने अस्पतालों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) स्थापित कर certification की जानी है उनका विवरण निम्नलिखित है –

Table 2:-

क्र.सं.	जिला	अस्पतालों की संख्या	QMS हेतु राशि (रू0)
1	औरंगाबाद	2	5,00,000
2	बाँका	1 DH एवं 3 अन्य अस्पताल	1,00,00,000
3	भागलपुर	3	24,99,074
4	भोजपुर	2	5,00,000
5	बक्सर	2	5,00,000
6	गोपालगंज	3	5,00,000
7	जमुई	3	5,00,000
8	खगड़िया	4	36,00,000
9	किशनगंज	3	10,00,000
10	लखीसराय	2	5,00,000
11	मधेपुरा	3	25,35,000
12	मुगेंर	10	62,54,000
13	मुजफ्फरपुर	2	6,00,000
14	नालंदा	2	5,00,000
15	पटना	5	30,00,000
16	पूर्णिया	2	5,00,000
17	रोहतास	2	5,00,000
18	सीतामढ़ी	2	6,00,000
19	सुपौल	3	10,00,000
20	वैशाली	5	25,96,800
21	पूर्वी चम्पारण	2	6,00,000

प्रति जिला राशि (रू0 में): **Table 2** के विवरण अनुसार।

वित्तीय दिशा निर्देश :

1– प्रत्येक जिला **Table 2** में वर्णित जिलेवार संख्या के अनुरूप potential अस्पतालों का चयन करेगें।

2– अस्पतालों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु चयनित जिलों को DHAP के अनुसार राशि आवंटित की गई है।

3– राज्य स्वास्थ्य समिति ने भारत सरकार के द्वारा प्राप्त राशि को जिलों को आवंटित किया है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या निर्धारित की है। इस आशय का पत्र राज्य स्वास्थ्य समिति ने पत्रांक

S Kumar

SHSB/GA/319/2010/5410 दिनांक 2.07.12 को प्रेषित की है जिसमें जिलों को चयनित संस्थानों का नाम प्रेषित करने को कहा गया है। जिसका अभिप्राय यह है कि इस मद की राशि को चयनित अस्पतालों के अतिरिक्त दूसरे अस्पतालों को आवंटित नहीं की जायेगी।

4— इस राशि का व्यय किसी नई संरचना को विकसित करने में नही करना है अर्थात चाहरदिवारी का निर्माण, नये भवनों का निर्माण आदि।

5— इस राशि का उपयोग इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिये किया जा सकता है जिसके बनाने से ऑपरेशन थियेटर, लेबर रूम, ओ.पी.डी., वार्ड आदि स्थानों पर मरीजों के लिये आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसका निर्माण रोगी कल्याण समिति की सक्षमता के आधार पर उचित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

6— इस राशि का उपयोग आवश्यक समाग्रियों के क्रय के लिए भी किया जा सकता है जो कि ऑपरेशन थियेटर एवं लेबर रूम में प्रॉटोकॉल आधारित सेवाओं को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। इसका क्रय बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार किया जाएगा।

7— इस राशि का उपयोग सेवा प्रदात्ताओं के कौशल विकास हेतु भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सेवा प्रदात्ताओं को स्किल लैब में भेजना या प्रशिक्षको को अस्पतालों में बुलाकर भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रबंधन से जुडें हुए कार्यो के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता हैं ।इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्गत निर्धारित दर के अनुसार इसके अंतर्गत राशि का व्यय किया जाएगा। निर्धारित दर का पत्र पत्रांक SHSB/GA/319/2010/5410 दिनांक 2.07.12 को प्रेषित की है ।

8— गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न की जाएगीः—

(1) विजनिंग / gap analysis अभ्यास (2) प्रॉब्लम बैंक का निर्माण (3) गैप का विश्लेषण एवं समय का निर्धारण (action plan) (4) साप्ताहिक बैठक की तिथि का निर्धारण (5) सेवा आधारित टीम का गठन (6) रोगी कल्याण समिति की समीक्षात्मक बैठक (7) महिलाओं, बच्चों, विकलांगजनों, अनुसुचित जाति—जनजाति अधिकारों के सम्बंध में लगातार सेमिनार, फिल्म शो, नुक्कड़नाटक आदि का आयोजन।

10— प्रत्येक चयनित अस्पताल में चिन्हित कमियों (gaps) को बंद करने हेतु या सुधार हेतु (action plan अनुसार) Table 2 में जिलेवार वर्णित राशि का उपयोग करेगें।

11— कार्य प्रगति एवं राशि उपयोग की सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायेगें।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0 तिथि क साथ उल्लेख्ति करे):
(क) पत्रांक SHSB/GA/319/2010/5410 दिनांक 2.07.12

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : ज्योति वर्मा
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9470003018

SKumar Jyoti